

कार्यवाही  
की तारीख,

आदेश

### त्रैमासिक विवरणी संबंधी दिशा निर्देश

11.7.19

परियोजना की त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के संबंध में प्राधिकरण को पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है -

(1) समयसीमा-

समयावधि	कब तक
जनवरी से मार्च	31 मई
अप्रैल से जून	31 जुलाई
जुलाई से सितंबर	31 अक्टूबर
अक्टूबर से दिसंबर	31 जनवरी

- (2) त्रैमासिक विवरणी सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार्य की जावेगी। हार्डकापी या कम्युनिकेशन सेक्शन में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।
- (3) यदि पंजीयन के समय जो अभिलेख आनलाइन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं वे त्रैमासिक विवरणी के आनलाइन माड्यूल में प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

S.No./RERA/FC/2018/fee/


Bhopal, Dated 24.07.2018

**ORDER**

Observing that several delays have been taking place in submission of Quarterly Reports and Certificates, hence it has been decided to levy a Late Fee for delay in submission of these Reports and/or Certificates.

The Authority has decided in its meeting held on July 12, 2018 that the Late Fee shall be as below-

S.No.	Particulars	Late fees (Rs.)
1	Delay in submission of Quarterly submissions beyond scheduled date	
	a. Upto 30 days delay	2,000
	b. 31 to 60 days delay	5,000
	c. 60 to 90 days	10,000
	d. More than 90 days	Penalty as per Act
2	Extension of time for completion of project	
	a. Upto 03 months	25% of basic fee
	b. Above 3 months & upto 6 months	50% of basic fee
	c. Above 6 months & upto 1 year	Equal to basic fee

  
24/7/18  
Chief Administrative Officer